बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड
Bihar State Power (Holding) Company Limited
बिहार सरकार का उपक्रम **(A Govt. of Bihar Undertaking)**
सामान्य प्रशासन विभाग **(Department of General Administration)**
GST No. 10AAFCB2394A2ZD, CIN No. U40102BR012SGC018495

तथ्य विवरणी तैयार करने के लिए अधिवक्ताओं/सेवानिवृत्त पदाधिकारियों को सूचीबद्ध (Empanelment) करने हेतु सूचना

बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कपंनी लिमिटेड, पटना एवं इसकी अनुषंगी कंपनियों के द्वारा विभिन्न न्यायिक वादों में कंपनी की ओर से उत्तर समर्पित करने में होने वाली कठिनाई एवं विलम्ब को देखते हुए इसके मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए तथ्य विवरणी तैयार करने हेतु योग्य अधिवक्ताओं/सेवानिवृत्त पदाधिकारियों को सूचीबद्ध करने के लिए विहित प्रपत्र में आवेदन आमंत्रित किया जाता हैः–

1) अर्हताः–

(1) सुयोग्य अधिवक्ता **अथवा**

(2) केन्द्र सरकार, राज्य सरकार या सार्वजनिक लोक उपक्रम से सेवानिवृत्त सुयोग्य पदाधिकारी/कर्मचारी **अथवा**

(3) बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कम्पनी एवं इसकी अनुषंगी कम्पनियों से विधि पर्यवेक्षक/विधि पदाधिकारी या इसके उच्चतर पदों से सेवानिवृत पदाधिकारी।

2) शर्त्तेः–

(i) सूचीबद्ध पदाधिकारियों को कार्य आवंटन की वैद्यता सूचीवद्ध होने की तिथि से तीन वर्षों तक या अधिकतम 65 वर्ष की उम्र तक होगी।

(ii) तथ्य विवरणी तैयार करने वाले पदाधिकारी का दायित्व निभाने हेतु इच्छुक सेवानिवृत्त पदाधिकारी की उम्र सूचीबद्ध किये जाने के वर्ष की पहली अप्रैल 2018 को तिरसठ (63) वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(iii) उसे शारीरिक एवं मानसिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ्य होना चाहिए।

(iv) उसे वित्तीय अनियमितता/गम्भीर कदाचार के लिए कोई बृहत् दंड नहीं दिया गया हो, वर्त्तमान में उसके विरूद्ध कोई न्यायिक कार्रवाई/विभागीय कार्यवाही लम्बित नहीं हो तथा उसकी सत्यनिष्ठा असंदिग्ध होनी चाहिए।

(v) तथ्य विवरणी तैयार करने के दौरान प्राप्त अथवा संकलित सभी कागजात/सूचना/डाटा को किसी भी परिस्थिति में प्रकट नहीं करने तथ्य विवरणी तैयार करने के पश्चात् संबंधित सभी अभिलेख/रिपोर्ट को अनुशासनिक प्राधिकार को सौपना आवश्यक होगा।

(vi) तथ्य विवरणी तैयार करने का कार्य विभाग/संगठन द्वारा निर्धारित कार्यालय में किया जायेगा। तथ्य विवरणी तैयार करने हेतु अनुसचिवीय सहायता एवं संरचना उपलबध कराने का दायित्व संबंधित कंपनी की होगी।

(vii) तथ्य विवरणी ससमय तैयार करेगें। तैयार तथ्य विवरणी प्रतिवेदन अनुशासनिक प्राधिकार को समर्पित करेगें।

(viii) चयनित उम्मीदवार घोषणा करेगें कि–

(क) वह प्राप्त याचिका में न तो गवाह है न ही परिवादी है, साथ ही वह याचिकाकर्ता का निकट संबंधी अथवा मित्र भी नहीं है।

(ख) वह तथ्य विवरणी तैयार करने हेतु प्राप्त अथवा संकलित, कागजात/सूचना/डाटा के संबंध में पूर्ण गोपनीयता बरतेगे एवं उसका उपयोग मात्र उसे सुपुर्द तथ्य विवरणी तैयार हेतु ही करेगे।

3) <u>चयन की प्रक्रियाः–</u>

i. योग्य एवं इच्छुक उम्मीदवार से प्राप्त आवेदन के जॉचोपरान्त, सूची तैयार कर कंपनी द्वारा गठित समिति को प्रस्तुत की जाएगी। सूची निर्माण के क्रम में उपर्युक्त वर्णित योग्यता के आधार पर आवेदन पत्र की छटनी की जायेगी एवं अंतर्वीक्षा के पश्चात् अंतिम सूची तैयार कर समिति द्वारा अनुमोदित किया जाऐगा। सूचीबद्ध ऐसे पदाधिकारियों के लिए तथ्य विवरणी तैयार करने के संबंध में आवश्यकतानुसार एक संक्षिप्त प्रशिक्षण की व्यवस्था करायी जाऐगी।

ii. तथ्य विवरणी तैयार करने हेतु नाम का चयन तैयार सूची में से संबंधित कंपनी के अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा किया जायेगा।

4) <u>मानदेव एवं भत्ताः–</u>

<u>तथ्य विवरणी तैयार करने के लिए सूचीबद्ध पदाधिकारियों को भुगतेय मानदेय एवं अन्य भत्ते निम्नवत होगें</u>:–

प्रति तथ्य विवरणी तैयार करने हेतु अधिकतम रू0 1500/–(पंद्रह सौ रूपया) तथा प्रारूप की अंग्रेजी प्रति टंकित करने हेतु (आशु लेखन सहित) अधिकतम रू0 300/–(रूपया तीन सौ) भुगतान किया जाऐगा।

5) सूची (पैनल) की वैधता अधिकतम् तीन वर्षो की होगी।

6) मानदेय एवं देय भत्ता का दर अगामी तीन वर्षो तक के लिए प्रभावी होगे।

7) सूचीबद्ध किए जाने के आधार पर नियोजन का कोई दावा मान्य नहीं होगा।

8) **<u>साक्षात्कार की तिथि</u>** :– कंपनी के अधिकृत बेवसाईट के माध्यम से अलग से सूचित किया जाऐगा। अभ्यर्थियों के ई–मेल से भी सूचना दी जायेगी।

9) <u>आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित कागजात समर्पित करना होगाः–</u>

क. असैनिक शल्य चिकित्सक/ बिहार स्टेट पावर (हो0) कंपनी लिमिटेड, पटना एवं इसके अनुषंगी कंपनियो के चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र।

ख. पी0पी0ओ0 की प्रति।

ग. अंतिम वेतन पर्ची।

घ. इस आशय का शपथ पत्र जिसमें यह उल्लेखित हो कि आवेदक के विरूद्ध कोई भी विभागीय कार्यवाही लम्बित नही है ना ही कोई मुकदमा न्यायलय में लम्बित है अथवा कोई गम्भीर आरोप दर्ज नही है।

10) नियोजन सूचना के संबंध में किसी प्रकार की जानकारी के लिए निम्न पदाधिकारी से कार्यालय अवधि में संपर्क किया जा सकता हैः–

श्री अरविन्द कुमार, प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा– H-III
बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड, पटना
मोबाईल न0–7763818476

11) इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार **दिनांक 31/05/2018** तक विहित प्रपत्र में आवेदन निम्न पते पर सभी आवश्यक कागजात के साथ समर्पित कर सकते हैः–

श्री सुरेन्द्र शर्मा, अवर सचिव, प्रशाखा–H-III
बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड, पटना
प्रथम तल, विद्युत भवन, बेली रोड, पटना–80001

ह0/–
(राजीव रंजन सिन्हा)
महाप्रबंधक (मा0सं0/प्रशा0)

बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड
Bihar State Power (Holding) Company Limited
बिहार सरकार का उपक्रम (A Govt. of Bihar Undertaking)
सामान्य प्रशासन विभाग (Department of General Administration)
GST No. 10AAFCB2394A2ZD, CIN No. U40102BR012SGC018495

तथ्य विवरणी तैयार करने के लिए अधिवक्ताओं/सेवानिवृत्त पदाधिकारियों को सूचीबद्ध (Empanelment) किये जाने हेतु आवेदन पत्र

1– पदाधिकारी का नाम :–____________________

2– पिता का नामः–____________________

3– जन्मतिथि :–____________________

4– दिनांक 01/04/2018 को आयु :–____________________

5– शैक्षणिक योग्यता :–____________________

6– सेवानिवृत उम्मीदवारो से–

क) सेवानिवृत्ति से पूर्व धारित पद :–____________________

ख) सेवानिवृत्ति की तिथि :–____________________

ग) सेवानिवृत्ति से पूर्व धारित विभाग का विवरण :–____________________

घ) क्या वार्धक्य सेवानिवृत्त हुए हैं अथवा ऐच्छिक सेवानिवृत्त :–____________________

ड़) क्या सेवाकाल में किसी तरह का दंड अधिरोपित किया गया था :–__________

च) यदि हॉ, तो उसका विवरणः–____________________

____

7– क्या पूर्व में तथ्य विवरणी तैयार किया गया है :– ____________________

8– यदि हॉ, तो उसका विवरण ____________________

____

9– पत्राचार पता–____________________

____

10–दूरभाष संख्या/मोबाईल संख्या–____________________

11–ईमेलः– ____________________

स्थान :–
तिथि :–

नाम एवं हस्ताक्षर

अनुलग्नकः– 1) स्वास्थ्य प्रमाण पत्र 2) पी0पी0ओ0 3) अंतिम वेतन पर्ची 4)शपथ पत्र